"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2016— चैत्र 8, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2015/एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. शीर्षक "आठ-परिवहन विभाग" के अन्तर्गत, भाग (अ) "विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय" के सरल क्रमांक 8 में, शब्द "रेलें इनमें नई रेल लाईनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण शामिल है" का लोप किया जाये.

2. शीर्षक "ग्यारह-वाणिज्य और उद्योग विभाग" के अन्तर्गत, भाग (अ) "विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय" के सरल क्रमांक 23 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"24. रेलें इनमें नई रेल लाईनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण शामिल है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

क्रमांक एफ 1-14/2015/एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-14/2015/एक (1), दिनांक 28 मार्च, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

Naya Raipur, the 28th March 2016

NOTIFICATION

No. F 1-14/2015/1/One (1). — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. Under the heading "VIII-TRANSPORT DEPARTMENT", in serial number 8 of Part (A) "Matters of Policy dealt within the Department", the words "Railways including proposals for and construction of new railway lines." shall be omitted.

2. Under the heading "XI-COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTMENT", after serial number 23 of Part (A) "Matters of Policy dealt within the Department", the following shall be added, namely :-

"24. Railways including proposals for and construction of new railway lines."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBER, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.